सं0 27/10/2013-एस0आर0एस0

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली ।
थ्दनांक 07 जनवरी, 2014

07 JAN 2014

सेवा में,

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश ।

मुख्य सचिव
उत्तराखंड शासन
सचिवालय, देहरादून
उत्तराखंड ।

विषयः- दिनांक 18.09.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की संस्तुति की अनुपालन में रिट याचिका संख्या 6304(एस0/एस0)/2012 में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08 नवम्बर, 2012 के अनुसार श्री हरिप्रकाश सिंह का उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन पर विचार।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री हरिप्रकाश सिंह, सहायक कृषि विपणन निरीक्षक से उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटन हेतु प्राप्त आवेदन पर परामर्शी समिति की दिनांक 18.09.2013 को आयोजित बैठक में विचार किया गया । माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ द्वारा अपने अंतरिम आदेश दिनांक 08 नवम्बर, 2012 के तहत निम्न आदेश पारित किया गयाः-

"In the meantime, as an interim measure it is hereby provided that petitioner shall send the copy of the representation dated 11.8.2008 within seven days from today through proper channel to opposite party no. 4 who shall place the same before the Committee constituted under notification dated 12.11.2007, thereafter the Committee shall take appropriate decision on the representation of the petitioner in accordance with law, expeditiously and pass appropriate orders. The opposite parties shall bring on record the decision so taken by the Committee on the next date.

Till the next date of listing petitioner shall not be compelled to join in the State of Uttarakhand."

2. श्री हरिप्रकाश सिंह द्वारा अपने दिनांक 11.08.2008 के प्रत्यावेदन, जिसकी प्रति रिट याचिका के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न पाया गया, में कहा गया है कि वह उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी तथा विकल्पधारी है एवं उत्तर प्रदेश राज्य में ही संवा करना चाहते हैं । उन्होंने यह भी कहा है कि वह अकेले अपने माता-पिताओं के देखभाल के लिये जिम्मेदार

(59)

हैं तथा यदि उन्हें उत्तराखंड भेजा जाता है तो उन्हें अपने सामाजिक दायीत्व से दूर होना होगा । उनके अनुसार उनका स्वास्थ्य ज्यादातर खराव रहता है तथा उत्तरांचल राज्य में कार्य करने योग्य नहीं है । किसी राज्य के लिये विकल्प देना तथा उसी राज्य का मूल निवासी होना उसी राज्य आवंटन के लिये यथेष्ट नहीं है । इच्छित राज्य आवंटन हेतु विकल्पियों में आपेक्षित वरिष्ठता तथा पर्याप्त रिक्तियों का होना आवश्यक है । पुनः कनिष्ठतम होने के नाते श्री सिंह का आवंटन उत्तराखंड राज्य के लिये किया गया है । सहायक कृषि विपणन निरीक्षक/ सहायक वर्गीकरण निरीक्षक संवर्ग के सभी 15 कार्मिकों का उत्तराखंड राज्य के लिय आवंटन कनिष्ठता के आधार पर किया गया है । आवंटित कार्मिकों में उनका नवां स्थान है । प्रार्थी का कथन 'उनका स्वास्थ्य उत्तरांचल राज्य में कार्य करने योग्य नहीं है,' अस्पष्ट है तथा राज्य पुनर्गठन विधानिदेशें से आच्छादित नहीं है । परिवार तथा समाज से संबंधित कारण सामान्य प्रकृति के हैं तथा राज्य पुनर्गठन विधानिदेशें से आच्छादित नहीं है । अतः उपर्युक्त कारणों को संज्ञान में लेते हुए समिति द्वारा उनके प्रत्यावेदन निरस्त किये जाने कि संस्तुति की गयी ।

2. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री हरिप्रकाश सिंह का अंतिम आवंटन उत्तराखंड राज्य के लिये बना रहेगा ।

3. कार्मिक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. श्रीमती हेमलता ढौंडीयाल, सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन
Deptt. of Personnel & Trg., L.N. Bhawan
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issued Section
07 JAN 2014
जारी किया/ISSUED